न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 27 / 2020
दायर दिनांक : 09.07.2020

अनवान

1. रामकन्या पत्नि प्रभुलाल धाकड़ निवासी खंगारजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 01.01.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली में स्थित भूमि आराजी संख्या 1181 / 742 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का गेर मुमकिन सरकारी सड़क आराजी नम्बर 715 से होते हुये बिलानाम सरकारी भूमि आराजी नम्बर 732 की दक्षिणी मेड़ में प्रवेश करती है। तथा आराजी नम्बर 732 में दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुये अपनी आराजी नम्बर 1181 / 742 की दक्षिणी मेर पर प्रवेश करती है। 50 वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्से में दर्ज नही होने से गांव के लोग उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा कर लेते है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1181 / 742 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 1181 / 742 की दक्षिणी मेड़ पर 15 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट / 2020 / 2867 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली की आराजी संख्या 1181 / 742 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 732 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 732 में से 14 [illegible] भूमि रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 14 बिस्वा भूमि [illegible] उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 63938 रूपये प्रति बीघा [illegible] दुगुनी दर 89514 रूपये है। साथ ही तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी [illegible] में यह भी अवगत करवाया कि रास्ते हेतु भूमि आराजी नम्बर 732 रकबा 52.12 बीघा बिलानाम गे0मु0 पठार दर्ज रेकॉर्ड है तथा रास्ते हेतु देने में विभाग को कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–78, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 732 से प्रार्थी निकलते है प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 14 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 14 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 63938 रू. प्रति बीघा से 44757 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 89514 रू. बनती है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(II) (a) के अनुसरण में ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 1181/742 पर पहुंचने के लिये विपक्षी की ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली की बिलानाम आराजी संख्या 732 में से 14 बिस्वा रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 63938 रू. प्रति बीघा से 44757 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 89514 रू. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थी द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 01.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner